न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (**RAS**)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 125/2023 **GCMS 2023/346**

प्रार्थीगण

1. शंकरलाल पुत्र गंगाराम उम्र 36 वर्ष
2. दिनेश कुमार पुत्र रामदेव उम्र 38 वर्ष जाति कुमावत निवासीयान कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी

1. तहसीलदार कुचामनसिटी, जिला नागौर (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
तहसीलदार कुचामनसिटी

आदेश

दिनॉक 21-08-2023

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1046/752 रकबा 0.1618 हैक्टर प्रार्थीगण की खातेदारी की आई हुई है, राज्य सरकार ने Digital India Land Records Modernization Programme के तहत राजस्थान की सभी तहसीलो के राजस्व रेकार्ड को डिजिटल किया गया एवं सेग्रीगेशन किय गया, इस प्रक्रिया के दौरान ग्राम सीतापुर के राजस्व नक्शे में ग्राम सीतापुर के खसरा नम्बर 752 में प्रार्थीगण की खातेदारी का खसरा नम्बर 1046/752 तरमीम करते वक्त हल्का पटवारी द्वारा मौके की स्थिति से भिन्न उत्तर दिशा की तरफ प्रार्थीगण की खातेदारी का खसरा नम्बर 1046/752 सहवन से तरमीम कर दिया गया है, जबकि मौके की स्थिति के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि वर्तमान तरमीम के दक्षिणी तरफ अवस्थित है, तरमीम की सही स्थिति को समझने के लिए प्रार्थीगण द्वारा परिशिष्ट " क " नजरी नक्शा प्रार्थना–पत्र के साथ पेश किया गया है, जिसमें मार्क ' A' ' B' ' C ' ' D ' स्थान पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि अवस्थित है, मौके की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए गूगल मेप भी साथ पेश किया गया है, जिसमे मार्क ' A' ' B' ' C ' ' D ' स्थान प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि अवस्थित है, प्रार्थीगण हल्का पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 752 में सहवन से की गई तरमीम को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है, राजस्व नक्शें में प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 1046/752 की हुई गलत तरमीम के कारण प्रार्थीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

अपनी खातेदारी सुदा भूमि को विकसित नही कर पा रहे है। पटवारी हल्का द्वारा नक्शे में तरमीम करने में हुई गलती को प्रार्थीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है, प्रार्थीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम सीतापुर की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 1046/752 कुल रकबा 0.1618 हैक्टर प्रार्थना–पत्र क साथ संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार तरमीम किया जाने के आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलब जरिये नोटिस की गई। तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से " प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 " के दौरान प्राप्त आवेदम पत्र मय रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा इस न्यायालय को प्रेषित किया गया, इस प्रकरण से संबंधित होने से इस प्रकरण में शामिल किया गया।

प्रकरण में उभय पक्षकारान एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर तरमीम किये जाने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी ने प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार दुरूस्ति किये जाने का कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का कथन है कि उसके हक हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 146/752 तरमीम करते समय भिन्न उत्तर दिशा की तरफ सहवन से कर दिया है जबकि वास्तव में प्रार्थीगण की भूमि दक्षिणी तरफ अवस्थित है, जिसकी पुष्टि उपलब्ध पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत गूगल मेप की प्रति से होती है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार भी उसके हक हिस्से की भूमि दक्षिणी तरफ होना प्रमाणित होती है। प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि ग्राम सीतापुर के खसरा नम्बर 752 रकबा 1.67 हैक्टर में से 0.1618 हैक्टर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के आदेशानुसार नामान्तरकण सं. 91 स्वीकृत दिनॉक 13.10.2014 के द्वारा विभाजित हुआ, विभाजित रकबे के नये खसरा नम्बर 1046/752 कायम हुये नामान्तरकरण की पुश्त पर नक्शे अनुसार तरमीम नही हुई है अतः मौका स्थिति बनाये पुश्त पर बने नजरी नक्शानुसार तरमीम शुद्व किया जाना उचित है। उक्त अभिलेखीय एवं विधिक स्थिति के विवेचन पश्चात प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया संशोधन न्यायोचित है तथा उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उपरोक्त तरमीम नक्शा दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नवत आदेश दिये जाते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम सीतापुर पटवार मण्डल पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 1046/752 रकबा 0.16[illegible] में हुई राजस्व नक्शे में तरमीम की अशुद्वि को प्रस्तुत पटवारी हल्का पलाड़ा [illegible] प्रस्तुत नजरी नक्शा दिनॉक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

08.06.2023 अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्व किया जावें। पटवारी हल्का पलाड़ा द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा 08.06.2023 आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनॉक 21-8-2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:46 IST
Reason: SelfAttested